

प्रेषक,

पौरकृष्णांत्रो,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

अपर प्रमुख वन संसाक / नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तातरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

देवशब्दन: दिनांक: 20 मार्च, 2015

विषय: जनपद-चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सङ्करण योजना फेज-13 के अंतर्गत अल्मोड़ा-बैजनाथ-कर्णप्रियाग मार्ग के किमी 100 गुडम स्टेट विजयपुर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.71-हेठो वन भूमि का गैर यानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2355/FP/UK/ROAD/9773/2015 दिनांक 23 फरवरी, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निवेश द्गुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद चमोली (आपदायस्ता जिला श्रेणी सूची में निर्धारित) में प्रधानमंत्री ग्राम सङ्करण योजना के अन्तर्गत अल्मोड़ा-बैजनाथ-कर्णप्रियाग मार्ग के किमी 100 गुडम स्टेट विजयपुर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.71-हेठो वन भूमि को गैर यानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या एफ०न०-11-09/98-एफ० सी० दिनांक 07 नवम्बर, 2014 में निहित प्राक्कानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अद्योलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.42-हेठो सिविल सोयम भूमि पर क्षति पूरक वृक्षरोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु व्यापासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नमान्तरण किया जायेगा तथा छ: माह में आरहित/संरहित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नमान्तरण की उक्त रात पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रदान की जा रही सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत गारी जायेगी।
- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित रथल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षरोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु व्यापासंशोधित) जमा की जाएगी।
- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई०ए०स०-566 एवं भारत सरकार पत्र सं०-५-३/२००७-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
- प्रयोक्ता अधिकरण इस आश्य का व्यवनवद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो वही हुई धनराशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
- भारत सरकार पत्र सं० ५-३/२००७-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदरों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं०-एस०वी०- 25230 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकान), ब्लाक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा की जाएगी।
- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई०ए०स०-566 एवं भारत सरकार पत्र सं०५-३/२००७-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकान), ब्लाक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरांत ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का

- बैंक ड्राफट / चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मददार विवरण अर्थात् एन०पी०सी, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।
7. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित निम्निंग कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाइ से अनुपालन किया जायेगा।
 8. प्रयोक्ता एजेन्टी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की विधित में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
 9. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधित स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

(पी०कौ०प्रात्री)
अपर सचिव।

संख्या: ११३ (१)/ X-४-१५/ १(२९)/ २०१५, तदविनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (फेन्ड्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ०आर०आई०, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वन संरक्षक गढवाल वृत्त, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी, चमोली।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्धीनाथ वन प्रभाग, गोणेश्वर।
7. अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०, कर्णप्रथ्याग।
8. निदेशक, राष्ट्रीय रूपवा केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड संविवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन०आई०सी० की वेबसाइट पर अपलोड करने का कदम करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(रघुम सिंह)
उप सचिव।